संख्या–1710 /अड़तीस–5–2013–32सम/2013

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5

लखनऊः दिनॉक 20 जुलाई, 2013

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम के अन्तर्गत सस्टेनविलिटी मद के अन्तर्गत योजनाओं को कियान्वित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम के अन्तर्गत सस्टेनविलिटी मद से पेयजल योजनाओं हेतु निरन्तर भू–जल के संरक्षण हेतु विभिन्न कियाकलापों में गुणवत्ता, पारदर्शिता, मितव्ययता एवं समन्वय सुनिश्चित करने के उददेश्य से कतिपय दिशा–निर्देश कार्यालय ज्ञाप संख्या–566/अड़तीस–5–2013 दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा जारी किये गये थे।

2– उक्त के अनुकम में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम के अन्तर्गत सस्टेनविलिटी मद से कार्य कराये जाने हेतु बेहतर प्रतिस्पर्द्धा के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की नीति विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या–280/ 62–1–2013–7 डब्लूपी–2004 टीसी–।।।, दिनांक 18 फरवरी, 2013 में उल्लिखित कार्यदायी संस्थाओं–लघु सिचाई विभाग, उ0प्र0 जल निगम, भूमि विकास एवं जल संसाधन, कृषि, सिचाई, वन, भूगर्भ जल आदि विभागों/ उनकी कार्यदायी संस्थाओं से निम्न शर्तों/ प्रकिया के अधीन कराये जायेंगे :–

I. समस्त निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम के दिशा– निर्देशानुसार ई–टेण्डरिंग से कराया जाय।
II. समस्त कार्य ग्रामीण पेयजल से सम्बन्धित राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) से अनुमोदन के पूर्व सम्बन्धित राज्य तकनीकी एजेन्सी (एस0टी0ए0) से प्राक्कलनों / डिजाइन का परीक्षण कराया जाय।
III. भविष्य में सभी कार्यो को तृतीय पक्ष से मूल्यांकित (Third Party Inspection) कराये जाने के प्राविधान किये जॉय।
IV. सस्टेनविलिटी मद से योजनाओं का कियान्वयन भूजल के क्षेत्र में अतिदोहित /किटिकल विकास खण्डों एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐसे ग्रामों में किये जॉय, जहॉ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजना का कियान्वयन किया जा रहा है।
V. सस्टेनविलिटी मद से योजनाओं के कियान्वयन में अन्य विभागों से समन्वय सम्बन्धी शासनादेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव ।

संख्याः 1710 (1)/अड़तीस–5–2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई, भूमि विकास एवं जल संसाधन, कृषि, सिंचाई, वन, भूगर्भ जल विभाग।
3- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
6- महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झाँसी मण्डल, झाँसी।
7- महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा।
8- विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग, मोतीलाल राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
9- विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग, आई0आई0टी0 (वनारस हिन्दू विश्व विद्यालय), वाराणसी।
10- विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।
11- विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
12- विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग, बुन्देलखण्ड इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालौजी, झाँसी।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।